



**International Environmental  
Law Research Centre**

## **Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulverizer Plant, Hot Mix Plant, Redimix PaInt Policy, 2020**

This document is available at [ielrc.org/content/e2019.pdf](http://ielrc.org/content/e2019.pdf)

**Note:** This document is put online by the International Environmental Law Research Centre (IELRC) for information purposes. This document is not an official version of the text and as such is only provided as a source of information for interested readers. IELRC makes no claim as to the accuracy of the text reproduced which should under no circumstances be deemed to constitute the official version of the document.

उत्तराखण्ड शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-1  
संख्या: १०५/VII-1/2020/६८-रिट/०८टीसी  
देहरादून, दिनांक: २१ जुलाई, 2020

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल खनिज विकास एवं राजस्व हित में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2019 को अधिक्रमित करते हुए निम्नवत् उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020

- संक्षिप्त नाम      1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 है।  
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

- परिभाषाएं      2. इस नीति में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—  
(क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;  
(ख) "कलवर्ट" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है;  
(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;  
(घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;  
(ङ) "स्थानीय अधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो क्रमशः नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा उनको न्यस्त किया गया है;  
(च) "व्यक्ति" से जो भारतीय आयकर अधिनियम में यथापरिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है;  
(छ) "पर्वतीय क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग को छोड़कर), अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग को छोड़कर) जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है;
- (ज) "मैदानी क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर

- का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग, समिलित है;
- (झ) "खनन सत्र" से 01 अक्टूबर से आगामी 30 सितम्बर तक अभिप्रेत है;
  - (ज) "आबादी" से स्टोन केशर हेतु आवेदित दिनांक को अवस्थिति राजस्व अभिलेखों में दर्ज आबादी क्षेत्र अभिप्रेत है;
  - (ट) "On site स्थापना" से नदी/गढ़ेरे में स्थीकृत चुगान पट्टा/अनुज्ञा क्षेत्र में मोबाइल स्टोन केशर/मोबाइल स्कीनिंग प्लान्ट स्थापना अभिप्रेत है;
  - (ठ) "नदी" से ऐसे नदी, जिसमें जल का प्रवाह निरन्तर वर्षभर होता रहता है (Perennial river) तथा जिसमें जल का प्रवाह केवल वर्षाकाल में ही होता है Non-Perennial river अभिप्रेत है;
  - (ड) "नियमावली" से उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 अभिप्रेत है;
  - (ढ) "नदी के किनारे" से उच्चतम बाढ़ स्तर "Highest flood level" अभिप्रेत है;
  - (ण) "शब्द और पद" जो इस नीति में परिभाषित नहीं है, परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित है के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये उक्त अधिनियम में दिये गये हैं। ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण यदि आवश्यक हो, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा जारी किया जायेगा।

### अध्याय—I. स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट

स्टोन केशर  
प्लांट/स्कीनिंग  
प्लांट स्थल  
चयन हेतु  
समिति

1. स्थल चयन एवं स्थल की जांच हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जायेगा :—
    1. संबंधित जनपद का जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्ष
    2. प्रस्तावित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी सदस्य
    3. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो सदस्य
    4. उत्तराखण्ड पर्यारण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि सदस्य
    5. भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स सदस्य
    6. सम्बन्धित जिला खान अधिकारी सदस्य सचिव।
- उपरोक्तनुसार गठित समिति के द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप अनुसूची-1 में प्रस्तुत की जायेगी।

स्टोन केशर  
प्लांट/स्कीनिंग  
प्लांट हेतु  
आवेदन

2. स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-2 में वर्णित निम्न अभिलेखों एवं अनुज्ञा शुल्क सहित छ: प्रतियों में संबंधित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा:—
  1. आवेदन प्रपत्र।
  2. अनुज्ञा शुल्क संयत्र की क्षमता के अनुसार।
  3. आवेदित स्थल का खसरा मानचित्र।

*Dm*

4. स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकृत परामर्शदाता (Authorized consultant) द्वारा प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अधिकृत परामर्शदाता का सूचीबद्धीकरण(Empannelment) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा। स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। अधिकृत परामर्शदाता द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उन्हें काली सूची (Black list) में डाला जायेगा।
5. आवेदित स्थल का खसरा विवरण।
6. आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का विधिवत पंजीकृत पट्टा विलेख प्लान्ट हेतु स्वीकृत अवधि का होना आवश्यक है।
7. आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत करने के उपरान्त रथानीय समाचार पत्र में प्रभावित व्यक्तियों की अनापत्ति के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति।
8. आवेदक यदि फर्म या कम्पनी हो तो फर्म का विधिवत रजिस्ट्रेशन एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति या विधिक ग्राह्यता वाले मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैन्डिंग की प्रति।
9. स्थाई निवास प्रमाण-पत्र।
10. आवेदक/भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र।
11. आवेदक/भागीदारों का खनन अदेयता प्रमाण पत्र जो संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
12. जी0एस0टी0 नम्बर।
13. आयकर अदेयता प्रमाण पत्र/ शपथ पत्र।
14. स्क्रीनिंग प्लान्ट से निकलने वाले अनुपयुक्त उपखनिज का निस्तारण का प्रकार एवं विधि का विवरण का शपथ पत्र।
15. स्टोन क्रेशर स्वामी/ स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को प्लान्ट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल (आर०बी०एम०) की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत को सूचित किया जाना होगा। इस हेतु संचालक का स्वयं का खनन पट्टा अथवा/ और खनन पट्टाधारक (निजी नाप/राजस्व भूमि/वन निगम/गाम०विठ०नि०/कु०म०विठ०नि०) के मध्य हुए उपखनिज आपूर्ति का निर्धारित प्रपत्र अनसूची-३ के अनुसार पंजीकृत अनुबन्ध न्यूनतम ०५ वर्ष की उपखनिज आपूर्ति के आशय का संलग्न होना आवश्यक है। स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा अनुबंधित पट्टा धारकों से ही कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। स्टोन क्रेशर स्वामी/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा अनुबंधित खनन पट्टा धारकों से इतर पट्टा धारकों से उपखनिज की आपूर्ति नहीं की जायेगी। उक्त शर्त का उल्लंघन प्रमाणित होने पर स्टोन क्रेशर स्वामी/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करते हुए एक सप्ताह की समयावधि में ई-रवना पोर्टल बंद कर दिया जायेगा।
16. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना/संचालन तथा उक्त प्लांटों के परिसर में उप खनिज भण्डारण की स्वीकृति जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा एक साथ प्रदान की जायेगी। प्लान्ट स्वामी के द्वारा क्य एवं विक्य किये गये खनिज का लेखा-जोखा पंजिका "क" में करेगा तथा मासिक विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्य कर कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट में उपखनिज कच्चा माल व पक्का माल के भण्डारण व सम्बंधित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/ जिला खान अधिकारी संबंधित तहसील के तहसीलदार/नायब

Om

तहसीलदार व निदेशालय स्तर के उपनिदेशक एवं उच्च स्तर के अधिकारी तथा शासन स्तर के अनुसचिव एवं उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

17. नये स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्वीकृति के लिए वही आवेदनकर्ता पात्र होगा, जिसके पास स्वयं का पट्टा अथवा/और जिसके पक्ष में शासकीय निगमों अथवा व्यक्तिगत पट्टाधारकों से आपूर्ति हेतु मात्रा का विधिवत पंजीकृत अनुबन्ध है एवं प्रस्तावित क्रशिंग क्षमता के सापेक्ष शेष क्षमता का स्वयं के पक्ष में स्वीकृत पट्टा अनुबन्ध है। इन सभी का पूर्ण विवरण सशापथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदन हेतु क्षैतिज दूरी के निम्नलिखित मानक होंगे:-

क्र०सं०	स्थान	स्टोन क्रेशर	स्क्रीनिंग प्लान्ट
1.	सरकारी वन	100 मीटर	100 मीटर
2.	(क) जनपद हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से (ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी (Perennial river) के किनारे से (छ) Non-Perennial river (वर्षाती नदी, नाला, गधेरा) के किनारे से	1.5 किलोमीटर 01 किलोमीटर 500 मी०	1.5 किलोमीटर 01 किलोमीटर 500 मी०
3.	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर
5	आबादी से दूरी	300 मीटर	300 मीटर

टिप्पणी :-

- (1) पर्वतीय क्षेत्र के स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लाटों की नदी (Perennial river) से न्यूनतम दूरी 250 मीटर होगी। शेष दूरी के मानक मैदानी क्षेत्र के दूरी के मानकों के 50 प्रतिशत होंगे।  
(2) गठित समिति अपनी संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्लांटसे दूरी हेतु निर्धारित मानकों के सापेक्ष मौके के अनुसार प्लान्ट की वास्तविक दूरी का उल्लेख किया जायेगा।  
(3) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदन के उपरान्त यदि कोई धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि), स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि एवं आवासीय भवन एवं परिवार का एक मकान/एक से अधिक परिवार का मकान आदि का निर्माण कराया जाता है, तो उनके द्वारा की गयी आपत्ति मान्य नहीं होगी और प्लान्ट के नवीनीकरण/स्वीकृति में भी कोई व्यवधान नहीं माना जायेगा।

स्टोन क्रेशर/  
स्क्रीनिंग प्लान्ट  
हेतु न्यूनतम  
क्षेत्रफल

4. इस नीति के प्रख्यापित होने के पश्चात आवेदित/प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल जो एक संहत खण्ड में हो, का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा :-  
(क) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट की क्षमता - टन प्रति घंटा  
(ख) प्रतिदिन स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालन की अवधि - औसतन 10 घंटा प्रतिदिन  
(ग) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के संचालन हेतु कच्चे माल आर०बी०एम० की आवश्यक मात्रा प्रतिदिन = क x ख टन प्रतिदिन  
(घ) वर्षा ऋतु आदि हेतु खनन चुगान की एक वर्ष में बंदी की अवधि = 90 दिन। वर्षा काल (जुलाई-सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आर०बी०एम० की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता = 90 x क x ख = टन में।  
(ङ) वर्षा काल से भिन्न अवधि अर्थात् अक्टूबर से जून तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता 45 x क x ख (टन में)

Om

- (च) कच्चा माल (आर०बी०एम०) एंव पक्का माल का भण्डारण औसतन 05 मीटर की ऊँचाई तक।  
 (छ) वर्षा अवधि हेतु कच्चा माल (आर०बी०एम०) का भण्डारण का क्षेत्रफल

$$= \text{क} \times \text{ख} \times 90$$

$$2.2 \times 5$$

(वर्गमीटर में)

$$(1 \text{ घनमीटर} = 2.2 \text{ टन})$$

- (ज) वर्षा काल से भिन्न अवधि हेतु कच्चा माल की एक समय में भण्डारण हेतु क्षेत्रफल =

$$\text{क} \times \text{ख} \times 45$$

$$2.2 \times 5$$

(वर्गमीटर में)

- (झ) तैयार माल के भण्डारण, हरित पटिका, प्लान्ट की स्थापना एंवं वाहनों के आवाजाही एंवं रखरखाव इत्यादि हेतु क्षेत्रफल वर्षाकाल एंवं वर्षाकाल से भिन्न अवधि हेतु कच्चे माल के क्षेत्रफल का योग (छ+ज) का 25 प्रतिशत होगा।

- (ट) कुल क्षेत्रफल = छ+ज+झ वर्गमीटर

5. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु आवेदन के सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जाना
6. (क) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालकों को क्रशड मैटेरियल (ग्रिट एंव डर्ट) की मात्रा पर ₹0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा स्क्रीनिंग प्लान्ट/क्रेशर प्लान्टमें छाने गये उपखनिज (बालू बजरी) की मात्रा पर ₹0 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एंवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एंवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ख) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एंवं सी०सी०टी०वी० कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिकॉर्डिंग की सी०डी० प्रत्येक माह जिलाधिकारी एंवं भूतत्व एंवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार शासन को सूचित किया जायेगा।

Om

- (ग) भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(2)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (घ) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा तैयार माल पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क (₹ 1 प्रति कुंतल स्टोन क्रेशर हेतु एवं 25 पै0 प्रति कुंतल स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु) जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई-प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।
- (ङ) स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्टों द्वारा बन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material बन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।

स्टोन क्रेशर/  
स्क्रीनिंग प्लान्ट  
अनुज्ञा देने हेतु  
शर्त

7. (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी स्टोन क्रेशर प्लान्ट/ स्क्रीनिंग प्लान्ट संयत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी (Boundary wall) के अन्दर स्थापित करेगा।
- (2) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची होगी, जिससे धूल कण आदि परिसर से बाहर न आए। भण्डारण ऊंचाई का सत्यापन खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से कराया जाना होगा। कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी पर ₹ ८ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।
- (3) (क) इस नीति की घोषणा के बाद स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्टस्वामी को ऐसा संयत्र स्थापित करना होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन  $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$  से कम हो।
- (ख) इस नीति की घोषणा के पश्चात् स्थापित किये जाने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को ऐसा संयत्र स्थापित करना होगा, जो Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के निम्न प्रावधानानुसार निर्धारित मानकों निम्न मानकानुसार हो :—

Ambient air quality standards in respect of Noise

Area code	Category of Area/ Zone	Limits in db(A) Leq	
		Day Time	Night Time
(A)	Industrial Area	75	70
(B)	Commercial Area	65	55
(C)	Residential Area	55	45
(D)	Silence Area	50	40

Note –

Day time shall mean time from 6.00 a.m. to 10.00 p.m.

Night time shall mean time from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

इस नीति के प्रख्यापन से पूर्व में स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्टों को भी उक्त मानकों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

- (ग) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट को covered shed के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।
- (4) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
- (5) संचालक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि धूल हवा में न उड़े।

- (6) संचालक द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो, का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के 06 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।
- (7) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केवल सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
- (8) सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कच्चेर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फब्बारे की स्थापना की जाय, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
- (9) फब्बारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जाये ताकि फब्बारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
- (10) कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डकिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आईडी फेन के माध्यम से स्क्रिबिंग की जाये। स्क्रिबिंग में प्रयुक्त जल को सेलटिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जाये।
- (11) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को प्लान्ट संचालन हेतु खनन पट्टाधारक द्वारा आपूर्ति किये गये उपखनिज का निर्धारित प्रपत्र पर मासिक विवरण संबंधित खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे संबंधित खान अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (12) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्रतिमाह क्रय किये गये आर०बी०एम० एवं विक्रय किये गये क्रशड मैटेरियल/तैयार माल का विवरण निर्धारित प्रारूप पर संबंधित खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे संबंधित खान अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (13) प्रत्येक स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा Tamper Proof इलैक्ट्रिनिक मीटर लगाया जाना अपरिहार्य होगा। इलैक्ट्रिनिक मीटर को प्रतिदिन प्रारम्भ (Start) और बन्द (Close) किया जायेगा तथा इसकी मीटर रीडिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा अभिलिखित की जायेगी।
- (14) स्टोन क्रेशर प्लान्ट स्वामी एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा समस्त वित्तीय लेखे Double Entry Accounting System के अनुसार रखे जाने अनिवार्य होंगे।
- (15) स्टोन क्रेशर प्लान्ट स्वामी एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा क्रय एवं विक्रय का समस्त भुगतान चैक/बैंक ड्राफ्ट/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से किया जायेगा तथा तत्संबंधी अभिलेखों को संरक्षित किया जायेगा।  
स्टोन क्रेशर प्लान्ट स्वामी एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्रत्येक तिमाही में कुल क्रशिंग क्षमता का कम से कम 80 प्रतिशत क्रश किया जाना अनिवार्य होगा। प्लान्ट स्वामी की क्रशिंग क्षमता का अक्टूबर से दिसम्बर की प्रथम तिमाही की समाप्ति के उपरान्त जनवरी के प्रथम सप्ताह में प्रथम निरीक्षण, जनवरी से मार्च की द्वितीय तिमाही की समाप्ति के उपरान्त अप्रैल के प्रथम सप्ताह में द्वितीय निरीक्षण, अप्रैल से जून की तृतीय तिमाही की समाप्ति के उपरान्त जुलाई के प्रथम सप्ताह में तृतीय निरीक्षण एवं जुलाई से अक्टूबर की चतुर्थ तिमाही की समाप्ति के उपरान्त नवम्बर के प्रथम सप्ताह में चतुर्थ निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जायेगा। यह निरीक्षण संबंधित खान अधिकारी, सहायक भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक अथवा क्षेत्र के उपजिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसका क्रेशरवार रिकार्ड खान अधिकारी एवं संबंधित क्रेशर स्वामी के पास रखा जाना अनिवार्य होगा।

Chm

यदि प्लान्ट स्वामी द्वारा किसी तिमाही में कुल क्रशिंग क्षमता का 80 प्रतिशत क्रश नहीं किया जाता है तो आगामी तिमाही में प्लान्ट स्वामी द्वारा इस प्रकार क्रशिंग की जानी होगी कि दोनों तिमाहियों का औसत कम से कम 80 प्रतिशत हो जाय। यदि लगातार दो तिमाहियों में कम से कम 80 प्रतिशत क्रशिंग क्षमता का उपयोग प्लान्ट स्वामी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्लान्ट स्वामी को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए गुणावरण के आधार पर ई-रवन्ना पोर्टल बन्द कर दिया जायेगा। यदि प्रति वर्ष निर्धारित क्षमता का कम से कम 80 प्रतिशत क्रश नहीं किया जाता है तो अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी। केशर स्वामी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अपील शासन में ही की जा सकती है। शासन द्वारा केवल अपरिहार्य स्थिति उदघाटित होने की दशा में छूट दी जा सकेगी।

- (16) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्लान्ट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish तथा प्लान्ट स्वीकृति के उपरान्त प्लान्ट संचालन से पूर्व Consent to operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।

**स्टोन क्रेशर/  
स्क्रीनिंग प्लान्ट  
अनुज्ञा की  
स्वीकृति**

8. (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा आवेदित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा।

जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर संस्तुति सहित प्रस्ताव अनुसूची-2 में वर्णित अभिलेखों के साथ निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा उक्तानुसार संस्तुति सहित प्रस्ताव अनुज्ञा स्वीकृति दिये जाने हेतु शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर आवश्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा दस वर्ष की अवधि हेतु स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं उपचयनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञा साथ-साथ स्वीकृत की जायेगी।

- (2) शासन द्वारा निजी नाप भूमि में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा भण्डारण स्थल की स्वीकृति सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रेषित की जायेगी। ऐसी अनुज्ञा के उपरान्त स्थल पर ऐसी योजना के पूर्ण हो जाने की दशा में उसका उपयोग प्रारम्भ हो जाने पर उत्तर-प्रदेश जर्मांदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त और समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा-143 के अधीन सम्बन्धित परगनाधिकारी द्वारा इसे स्वतः दर्ज किया जायेगा।

**स्टोन क्रेशर/  
स्क्रीनिंग प्लान्ट  
क्षमता का  
निर्धारण**

9. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी पूर्व से स्थापित प्लान्ट या स्थापित किये जाने वाले प्लान्ट की क्षमता टन प्रति घंटा में शपथ-पत्र सहित घोषित करेगा। उक्तानुसार घोषित क्षमता के परीक्षण/प्रमाणीकरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें संबंधित जनपद के खान अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विद्युत वितरण निगम के संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। उक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रचालन/संचालन क्षमता एवं तदनुसार भण्डारण क्षमता निर्धारित की जायेगी। उक्त समिति द्वारा संस्तुत क्षमता अनुमन्य होगी तथा प्रति टन क्रशिंग में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की मात्रा भी यह समिति निर्धारित करेगी।

Om

प्रदेश में इस प्रकार निर्धारित की जाने वाली क्रशिंग क्षमता प्रति घंटा एवं प्रति टन क्रशिंग में प्रयुक्त विद्युत की मात्रा के 10 प्रतिशत मामलों का सत्यापन राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाओं द्वारा Random आधार पर प्रति वर्ष कराया जायेगा।

**पूर्व से  
स्थापित /  
संचालित स्टोन  
केशर /  
स्क्रीनिंग प्लांटों  
की क्षमता टन  
प्रति घन्टा के  
अनुसार घोषित  
करना तथा  
प्लांट की क्षमता  
का  
विनियमितीकरण**

10. (1) पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी जिन्होंने अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रतिघंटा में घोषित नहीं किया है अथवा विनियमितीकरण नहीं हुआ है, को इस नीति की घोषणा के बाद दो माह के भीतर अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रति घन्टा के अनुसार घोषित करना आवश्यक होगा।

घोषित प्लांट की क्षमता के अनुसार प्लांट का विनियमितीकरण जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा किया जायेगा।

विनियमितीकरण शुल्क नीति के अध्याय-II में वर्णित अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत होगा, जिसका 1 प्रतिशत विनियमितीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय तथा शेष 99 प्रतिशत शासन द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी के उपरान्त तथा ई-रवन्ना पोर्टल में अपलोड किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु खनन एवं धातुकूर्म उद्योग में जमा करना होगा। शासन द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी होने के उपरान्त यदि प्लांट स्वामी के द्वारा विनियमितीकरण शुल्क की अवधेष 99 प्रतिशत धनराशि 01 माह के अन्तर्गत जमा नहीं करायी जाती है तो प्लांट का ई-रवन्ना पोर्टल बंद कर दिया जायेगा।

नीति की घोषणा के दो माह बाद ई-प्रपत्र "जे" के बाद विनियमित प्लान्ट को ही जारी किये जायेंगे।

### **अध्याय-II- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लाट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडीमिक्स प्लांट हेतु अनुज्ञा शुल्क :-**

क्र० सं०	संयन्त्र	पर्वतीय क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क	मैदानी क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क
1	स्टोन क्रेशर	₹ 10.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	₹ 20.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		₹ 1.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघंटा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	₹ 2.00 लाख प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघंटा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
2	स्क्रीनिंग प्लान्ट	₹ 2.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	₹ 4.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		₹ 25,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघंटा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	₹ 1.00लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रति घण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
3	मोबाईल स्टोन केशर प्लान्ट/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट	₹ 25,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा या उससे कम हेतु) ₹ 50,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा से अधिक एवं 25 टन प्रतिघंटा से कम हेतु ) ₹ 1.00 लाख (क्षमता 25 से 50 टन प्रतिघंटा हेतु ) ₹ 2.00 लाख (क्षमता 50 टन प्रतिघंटा से अधिक हेतु)	

*Omr*

4	हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट	₹ 25000/-
---	--------------------------------------	-----------

**नोट-1.** नये स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट की स्थापना/संचालन की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु उपरोक्त तालिका में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क का 01 प्रतिशत की धनराशि आवेदन प्रस्तुत करते समय तथा अनुज्ञा शुल्क की अवशेष 99 प्रतिशत की धनराशि प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त ई-रवन्ना जारी होने से पूर्व आवेदक द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना होगा।

### अध्याय-III- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण

स्टोन  
क्रेशर/स्क्रीनिंग  
प्लान्ट का  
नवीनीकरण

पूर्व नीति से  
स्थापित स्टोन  
क्रेशर/स्क्रीनिंग  
प्लान्ट का  
संचालन

अनुज्ञा को  
रद्द/निरस्त  
किया जाना

- (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर में उपखनियों के भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-4 में वर्णित अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क जो अध्याय-2 में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जिसका 01 प्रतिशत की धनराशि आवेदन प्रस्तुत करते समय तथा अवशेष 99 प्रतिशत की धनराशि शासन द्वारा निर्गत नवीनीकरण ओदश के उपरान्त तथा ई-रवन्ना पोर्टल में अपलोड किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक “0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग” में जमा कराया जाना होगा, तीन प्रतियों में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।
- (2) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी।
- पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट को इस नीति के अध्याय-I के बिन्दु 3 में उल्लिखित दूरी के मानक तथा अध्याय-I के बिन्दु 7 के उप बिन्दु (3) के खण्ड (क) एवं (ख) में उल्लिखित प्रावधानों को छोड़कर शेष मानकों को नीति प्रख्यापन की तिथि से 03 माह की अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा;  
परन्तु नवीनीकरण के समय इस प्रकार स्थापित इकाईयों को दूरी के मानकों को छोड़कर इस नीति में निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
- (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
- (2) यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्लान्ट की स्थापना नहीं की जाती है तो जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति-युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

*[Signature]*

#### अध्याय-IV-मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की स्वीकृति एवं नवीनीकरण

1. राज्य में उपखनिजों के छोटे लॉटों/पट्टों में मूल्य संवर्धन (Value addition) के उद्देश्य से खनन क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट को on site स्थापित कर संचालन किया जायेगा।
2. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-5 में वर्णित अभिलेखों एवं अध्याय-2 में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।
3. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट तथा उक्त प्लांटों के परिसर में कच्चे माल एवं तैयार माल के भण्डारण की स्वीकृति उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की संस्तुति के आधार पर अधिकतम एक वर्ष के लिए जिलाधिकारी द्वारा साथ-साथ स्वीकृत की जायेगी।
4. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय-II में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।
5. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण अपरिहार्य परिस्थितियों में एक वर्ष की अवधि हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
6. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट हेतु खनन पट्टाधारक/परियोजना प्रबंधक / कार्यदायी संस्था के द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय को खनन सत्र में क्रश्ड किये जाने हेतु प्रस्तावित उपखनिज के श्रोत एवं मात्रा के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित करेगा।
7. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट के संचालन हेतु अनुमति सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।  
प्रतिबन्ध यह होगा कि मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट केवल सरकारी संस्थाओं को सरकारी निर्माण कार्यों हेतु अधिकतम 01 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे।
8. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रख्यापित आदेशों/ अधिनियम में इंगित दिशा-निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
9. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट के संचालन से पूर्व सम्बन्धित आवेदक के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय का विज्ञाप्ति प्रकाशित करेगा कि यदि किसी स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं को आपत्ति है, तो वे अपनी आपत्ति लिखित रूप में सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर दर्ज कराये। यदि विज्ञाप्ति प्रकाशन के 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जायेगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है एवं तदनुसार जिलाधिकारी के द्वारा अनुमति के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। यदि स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं से कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उस दशा में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक जांच कराते हुए गुण-दोष के आधार पर प्लान्ट के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
10. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की on site स्थापना के सम्बन्ध में आवेदित स्थल की जांच सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

*(Signature)*

11. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की on site स्थापना एवं संचालन हेतु नदी से दूरी के मानक में शिथिलता रहेगी तथा आबादी आदि से दूरी के मानक वहीं रहेंगे, जो सम्बन्धित क्षेत्र हेतु नीति में निर्धारित है।
12. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा कश्ड एवं उपयोग में लाये गये मैटेरियल का लेखा—जोखा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह संबंधित खान अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।
13. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट संचालकों को कश्ड मैटेरियल की मात्रा पर ₹ 1 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा स्कीनिंग प्लान्ट संचालकों को छाने गये उपखनिज की मात्रा पर 25 पैसा प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक—0853 अलौह धातु खनन एवं खनिकर्म उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
14. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्टों पर भी धूल के उत्सर्जन एवं धनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लाटों पर लागू हैं।
15. स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक द्वारा समय पर जारी अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
16. पूर्व से स्थापित मोबाईल स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट पर इस नीति के विनियमितीकरण प्रावधान उपरोक्तानुसार लागू होंगे।

#### अध्याय-V- हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट

**हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट की स्थापना एवं भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति एवं नवीनीकरण**

1. (क) हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट के स्थापना एवं प्लान्ट में पक्के माल के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु आवेदन अनुसूची-6 मेर्यादित अभिलेखों एवं शुल्क सहित संबंधित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को स्पष्ट संस्तुति सहित अग्रसरित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से जॉच आख्या प्राप्ति के उपरान्त प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर मेर्यादित पक्के माल के भण्डारण की स्वीकृति याचित परियोजना अवधि अथवा दो वर्ष जो भी कम हो, हेतु की जायेगी। प्लान्ट स्वामी के द्वारा क्य किये गये खनिज का लेखा—जोखा पंजिका "क" मेर्यादित पक्के माल के उपरान्त प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्य कर कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट में भण्डारण एवं सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय-II में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।

हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट का नवीनीकरण उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा 02 वर्ष या याचित अवधि जो भी कम हो, के लिए की जायेगी।

11

- (ख) हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट के स्वामी के द्वारा क्रय एवं विक्रय किये गये उपखनिज आदि की मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट के स्वामी पर प्रतिमाह ₹ 50,000/- का अर्थदण्ड देय होगा।
- (ग) हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट, संचालकों द्वारा बालू या बोल्डर या उनके उत्पाद अर्थात् कच्चा माल/पक्का के प्लान्ट में उपयोग की गई मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक 0853- अलैह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- (घ) यदि हॉट मिक्स एवं रेडिमिक्स प्लान्ट भण्डारणकर्ता के द्वारा जांच/पैमाइश से अपनी लिखित रूप से असहमति व्यक्त की जाती है एवं पुनः जांच/पैमाइश की मांग की जाती है तो उस दशा में भण्डारणकर्ता से खनन लेखाशीर्षक में ₹ 5,000/- की धनराशि जमा कराने के उपरान्त जांचकर्ता के द्वारा भण्डार की पुनः जांच/पैमाइश करायी जा सकती है इस हेतु भण्डारणकर्ता को खनिज भण्डारणों को आयताकार रूप दिया जाना होगा।
2. हॉटमिक्स एवं रेडिमिक्स प्लान्ट से धूल के कणों का उत्सर्जन को रोकने की विधि (Dust Extractor) या धूल के कणों एवं धुआं को हवा में उड़ने से रोकने की विधि का प्रभावी उपयोग उत्पादन क्षमता के अनुरूप उपयोग करना होगा।
3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

#### अध्याय—VI . पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति व नवीनीकरण

- पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-7 में आवेदन शुल्क सहित नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 02 में वर्णित अभिलेखों सहित पांच प्रतियों में संबंधित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। पल्वराईजर प्लांट हेतु आवेदन शुल्क ₹ 1.00 लाख होगा जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।
- पल्वराईजर प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित स्थल की जाँच नीति के अध्याय—I के बिन्दु संख्या-1 में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।
- मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पल्वराईजर प्लांट की स्थापना हेतु इस नीति में पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के निर्धारित दूरी के मानक लागू होंगे तथा क्षेत्रफल न्यूनतम 0.5 एकड़ होगा।
- पूर्व में स्थापित/संचालित ऐसे पल्वराईजर प्लान्ट, जिनके द्वारा अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी है, को भी इस नीति के तहत अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- पल्वराईजर प्लांट की स्थापना/संचालन की स्वीकृति तथा परिसर में उपखनिज (सोपस्टोन) के कच्चे माल एवं तैयार माल के भण्डारण की स्वीकृति गठित समिति की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।

*Om*

6. पल्वराइंजर प्लांट एवं परिसर मे खनिज सोपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदक द्वारा प्लांट की स्वीकृत अवधि की समाप्ति से पूर्व आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क ₹ 1.00 लाख का कोषागार चालान जमा के साथ आवेदन, जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा जिसे परीक्षण कर जिला खान अधिकारी अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। उप जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त प्लांट एवं परिसर मे खनिज सोपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा का नवीनीकरण शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।
7. प्लांट की स्थापना एवं संचालन से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से consent to establish और consent to operate की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

**अध्याय-VII.** स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट/हाट मिक्स प्लांट/आर०एम०सी० प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण:

1. स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट/हाट मिक्स प्लान्ट/आर०एम०सी० प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रस्तुत किया जायेगा तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति शासन द्वारा प्राप्त की जायेगी। उक्त प्रयोजन के लिये सम्बन्धित प्लान्टों हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-
  1. स्टोन केशर का नाम या भागीदारों का नाम परिवर्तन— ₹ 2.00लाख।
  2. स्कीनिंग प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन— ₹ 1.00 लाख।
  3. हाटमिक्स प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन —₹ 50,000/-
  4. आर०एम०सी० का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन —₹ 50,000/-
  5. मोबाईल स्टोन केशर का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन—₹ 50,000/-
  6. मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन—₹ 25,000/-
  7. प्लवराइंजर प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन —₹ 50,000/-

**अध्याय-VIII.** पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट का नये स्थान पर स्थानान्तरण

- (1) पूर्व से स्वीकृत एवं स्थापित ऐसे स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट/ प्लवराइंजर प्लांट जो वर्तमान नीति के मानक पूर्ण नहीं करते हैं या कतिपय अन्य कारणों से यदि प्लांट का स्थानान्तरण नये अन्यत्र स्थान पर करना चाहता है तथा प्रस्तावित नवीन स्थल नीति में निर्धारित क्षेत्रफल एवं दूरी के मानकों के अनुरूप है, तो प्लांट स्वामी के अनुरोध पत्र के क्रम में जनपद स्तर पर गठित समिति की आख्या तथा जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर प्लांट के स्थानान्तरण हेतु अनुमति शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत अनुज्ञा की अवशेष अवधि हेतु प्रदान की जायेगी। इस हेतु प्लांट स्वामी को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

*Am*